राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1878/2010/राजसमन्द

श्री असगर मोहम्मद कान्ट्रेक्टर
कांकरोली, राजमसन्द .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम,राजसमन्द .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थितः:
श्री ओ.पी.दौसाया
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :–02.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विद्वान उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 24/वैट/2009–10(राजसमन्द) में पारित आदेश दिनांक 25.05.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के नियम 48 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.02.2009 पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत WT-1के साथ संलग्न कर्यादेय संविदा कार्यों की श्रेणी में नहीं माना है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी नें जी शिड्यूल की मनमानी व्याख्या के आधार पर डब्ल्यूटी–। को अस्वीकार नहीं किया जा सकता और प्रकरण प्रतिप्रेषित कर सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त मुक्ति प्रमाण पत्र पर शीघ्र निर्णये लिये जाने के निर्देश दिये हैं।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते ही विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2010 से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांच कर पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः आदेश दिनांक 04.05.2012 को पारित कर दिया गया है, इसलिए जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहा है । अतः अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से अस्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय पारित करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.05.2010 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2010 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः का कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.05.2012 को पारित किया जा चुका है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 25.05.2010 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आदेश दिनांक 04.05.2012 पारित (उक्त कर आदेश की प्रति कर बोर्ड की अपील पत्रावली के अन्त में संलग्न है) कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59**, के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य